REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264190 CG-DL-E-27062025-264190

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2025/आषाढ़ 5, 1947 No. 372] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2025/ASHADHA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2025

सा.का.नि. 415(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 और धारा 137 के उपबंध (क क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), ईमेल: comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

4193 GI/2025

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को मोटर यान (......संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर य़ान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, नियम 96 में, उप-नियम (4क) में, प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि 1 जनवरी, 2026 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एल2 के वाहनों में, सभी मॉडलों के मामले में, समय-समय पर संशोधित आईएस14664:2010 के अनुरूप एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाएगा।"

3. उक्त नियम में, नियम 138 के उप-नियम (4) के उपबंध (च) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात्:-

"(च) दो पहिया वाहन की खरीद के समय, केंद्रीय मोटर यान (---- संशोधन) नियमावली, 2025 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर, दो पहिया वाहन का निर्माता, दो पहिया वाहन की खरीद के समय, दो सुरक्षात्मक हेडगियर की आपूर्ति करेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप होंगे:

बशर्ते कि ये शर्तें धारा 129 के तहत छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी पर लागू नहीं होंगी।"

[फा. सं. आरटी-11036/75/2014 -एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून,1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ), दिनांकित द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2025

G.S.R. 415(E).—The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 and clause (aa) of section 137 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Draft Rules

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (---- Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 96, in sub-rule (4A), after first proviso following provision shall be inserted, namely: -

"Provided further that vehicles of category L2 manufactured on and after 1st January, 2026, in case of all models, shall be fitted with Anti-lock Braking System conforming to the IS14664:2010, as amended from time to time."

3. In the said rules, in clause (f) of sub-rule (4) of rule 138, for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely,-

"(f) At the time of purchase of the two wheeler, three months from the date of commencement of Central Motor Vehicles (---- Amendment) Rules, 2025, the manufacturer of the two wheeler shall supply two protective headgears conforming to specifications prescribed by the Bureau of Indian Standards at the time of purchase of a two wheeler:

PROVIDED that these conditions shall not apply to category of persons exempted in terms of section 129."

[F. No. RT-11036/75/2014-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R.(E) dated the